न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 07 / 2022

हेमराज सैनी निवासी ग्राम व पोस्ट ललितामूडिया तहसील वैर जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक **24.02.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है हेमराज सैनी निवासी ग्राम व पोस्ट ललितामूडिया तहसील वैर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.2021 प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 45 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से पत्र कमांक सा0 / आरटीआई / 2022 / 1823 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने के सबंध में प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक पत्र कमांक सा0 / आरटीआई / 2022 / 1823 दिनांक 23.02.2022 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अवगत कराया है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में आना नही पाया जाता है तथा आवक–ज़ावक शाखा में भी आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ है। इससे जाहिर होता है कि अपीलांट का आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2021 प्राप्त होना नही पाया गया है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना चाहने हेतु पुनः आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर